



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234673
CG-DL-E-30032022-234673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426]
No. 1426]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1469(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 कीधारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘एफ’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पैंतालिस [45] दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd 2021 .publi c@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेलआई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

एम्स के 79.73 हेक्टेयर माप वाले निम्नलिखित 5 भूखंडों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को भूमि उपयोग योजना में क्षेत्रीय विकास योजना जोन-एफ के संबंध में “पुनर्विकास क्षेत्र” के रूप में निर्धारित किया जाएगा:

क) पूर्वी अंसारी नगर कैंपस:	43.54 हेक्टेयर
ख) पश्चिमी अंसारी नगर कैंपस:	11.33 हेक्टेयर
ग) मस्जिद मोठ कैंपस:	12.95 हेक्टेयर
घ) ट्रामा केंद्र कैंपस:	5.86 हेक्टेयर
ङ) ट्रामा केंद्र विस्तार:	6.05 हेक्टेयर

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नईदिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंकअर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. पीएलजी/एमपी/0039/2020/एफ-3]

विनीत जैन, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1469(E).—The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021 / Zonal Development Plan of Zone ‘F’ under Section 11-A of DD Act 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of **forty-five (45) days** from the date of publication of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

The area under following 5 land parcels measuring 79.73 Ha. of AIIMS to be earmarked as “**Redevelopment Area**” on Zonal Development Plan of Zone-F in the Land Use Plan:

a. East Ansari Nagar Campus :	43.54 Ha
b. West Ansari Nagar Campus:	11.33 Ha
c. Masjid Moth Campus:	12.95 Ha
d. Trauma Centre Campus:	5.86 Ha
e. Trauma Centre Extension:	6.05 Ha

The text/plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Dy. Dir. (MP), DDA, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The text/plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2022>.

[F. No. PLG/MP/0039/2020/F-3]

VINEET JAIN, Commissioner-cum-Secy.